पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0नं0–8– 28
कमांक–154 /2017
आरबीई सं0–71/2017
सं0 ई/9/12/ भाग – 6 (चार)

दिनांक 10–08–2017

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता(एचआरए) के सम्बन्ध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(पी एण्ड ए)।।–2017/एचआरए–7 दिनांक 19.07.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

10.08.17
(ए0 के0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते ~~महाप्रबन्धक/कार्मिक~~

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में।
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

10.08.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

महाप्रबंधक कार्यालय पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
24 JUL 2017
महाप्रबन्धक

क्र.सं.पीसी-VII/24

आरबीई नं. 71/2017

सं. ई(पीएंडए)II-2017/एचआरए-7

नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि.

विषय:- रेलवे कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ता (एचआरए) के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार का निर्णय।

+++++

मकान किराया भत्ता (एचआरए) के संबंध में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति सहर्ष यह निर्णय लेते हैं कि, समय-समय पर यथा संशोधित रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.7.1965 के पत्र सं. पीसी-65/एचआरए-1/3, दिनांक 12.09.2008 के पत्र सं. ई(पीएंडए) II-2008/एचआरए-10 और दिनांक 24.09.2015 के पत्र सं.ई(पीएंडए) II-2015/एचआरए-7, में संशोधन करते हुए मकान किराया भत्ता निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:

नगर/कस्बों का वर्गीकरण	प्रति माह मकान किराया भत्ते की दर, केवल मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में
एक्स	**24%**
वाई	**16%**
ज़ेड	**8%**

2. 'एक्स', 'वाई' एवं 'ज़ेड' श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ते की दर क्रमशः 5400/- रुपए, 3600/- रुपए और 1800/- रुपए से कम नहीं होगी।

3. जब महंगाई भत्ता 25% पार कर जाएगा, तो 'एक्स', 'वाई' एवं 'ज़ेड' श्रेणी के शहरों के लिए मकान किराए भत्ते की दर संशोधित कर क्रमशः 27%, 18% एवं 9% कर दी जाएगी और जब महंगाई भत्ता 50% के पार हो जाएगा तब इसे पुनः संशोधित कर 30%, 20% एवं 10% कर दिया जाएगा।

4. संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अर्थ पे मैट्रिक्स में निर्धारित वेतन स्तर में लिया जाने वाले वेतन से है जिसमें प्रैक्टिसबंदी भत्ता (एनपीए) आदि अथवा विशेष वेतन जैसे किसी अन्य प्रकार के वेतन, आदि शामिल नहीं हैं।

5. रनिंग स्टाफ के संबंध में अगले आदेशों तक मकान किराया भत्ते की गणना मूल वेतन जमा 30% पे एलिमेंट पर की जाती रहेगी।

6. मकान किराया भत्ता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड के दिनांक 24.09.2015 के पत्र सं.ई(पीएंडए)II-2015/एचआरए-7 के तहत जारी 'एक्स', 'वाई', 'ज़ेड' के सभी वर्गीकृत नगरों की सूची इस आदेश के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

7. फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, नोएडा तथा गुड़गांव में तैनात रेलवे कर्मचारियों को दिल्ली ('एक्स' श्रेणी नगर) की दर पर, जालंधर कैंट में तैनात कर्मचारियों को जालंधर ('वाई' श्रेणी नगर) की दर पर, शिलांग गोवा एवं पोर्ट ब्लेयर में तैनात कर्मचारियों ...

कर्मचारियों को इस मंत्रालय के दिनांक 24.09.2015 के पत्र सं. ई(पीएंडए) II-2015/एचआरए-7 के पैरा '4' के तहत चंडीगढ़ ('वाई' श्रेणी नगर) के बराबर मकान किराया भत्ता देने की अनुमति प्रदान की गई है तथा एस.ए.एस नगर (मोहाली) में इस मंत्रालय के दिनांक 12.05.2017 के पत्र सं. ई(पीएंडए) II-2015/एचआरए-7 के तहत चंडीगढ़ ('वाई' श्रेणी नगर) के बराबर मकान किराया भत्ता जारी रखने के विशेष आदेश, अगले आदेशों तक जारी रहेंगे।

8. वर्तमान आदेशों के तहत मकान किराया भत्ता प्रदान करने से संबंधित सभी अन्य शर्तें लागू रहेंगी।

9. ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

10. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

प्रतिलिपि: एक (दो पृष्ठ)

मो. सलीम अहमद

(सलीम मो. अहमद)
उप निदेशक/ई(पीएंडए) II,
रेलवे बोर्ड

सं. ई(पीएंडए)II-2017/एचआरए-7 **नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2017**

प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कमरा नं.222, रेल भवन, नई दिल्ली को अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. ई(पीएंडए)II-2017/एचआरए-7 **नई दिल्ली, दिनांक 19.07.2017**

प्रतिलिपि प्रेषित :-

(1) वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ आदि।
(2) मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, 16, अशोक रोड, लखनऊ
(3) महानिदेशक अ.अ.मा.सं., लखनऊ
(4) निदेशक (क) इरीन, नासिक (ख) इरिसेन, पुणे (ग) इरिमी, जमालपुर (घ) इरिसेट, सिकन्दराबाद
(5) प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कॉलेज (वडोदरा)।
(6) अध्यक्ष, आरसीसी, लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
(7) अध्यक्ष, आरआरटी, चेन्नै।
(8) अध्यक्ष, आरसीटी, दिल्ली।
(9) अध्यक्ष, आरआरबी/अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बिलासपुर, बैंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोलकाता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुम्बई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और त्रिवेंद्रम।
(10) महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।
(11) संपादक, 'भारतीय रेल, कमरा नं. 469, रेल भवन, नई दिल्ली।
(12) संपादक, 'इंडियन रेलवेज़' कमरा नं. 411, रेल भवन, नई दिल्ली।
(13) संपादक, 'रेल राजभाषा' कमरा नं. 543, रेल भवन, नई दिल्ली।

5

अनुलग्नक

रेल कर्मचारियों को आवास किराया भत्ता प्रदान करने के लिए वर्गीकृत नगरों/शहरों की सूची

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	"X" के रूप में वर्गीकृत नगर	"Y" के रूप में वर्गीकृत नगर
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	....	...
2	आंध्र प्रदेश/ तेलंगाना	हैदराबाद (यूए)	विजयवाड़ा (यूए), वारंगल (यूए), ग्रेटर विशाखापटनम (एम. कार्पोरेशन), गुंटूर (यूए), नेल्लॉर (यूए)
3.	अरुणाचल प्रदेश	.....	......
4.	असम	......	गुवाहाटी (यूए)
5.	बिहार	......	पटना (यूए)
6.	चण्डीगढ़	.....	चण्डीगढ़ (यूए)
7.	छत्तीसगढ़	......	दुर्ग-भिलाई नगर (यूए), रायपुर (यूए)
8.	दादर एवं नगर हवेली	.....	......
9.	दमन एवं दीव	.....	.....
10.	दिल्ली	दिल्ली (यूए)	.....
11.	गोवा	.....	....
12.	गुजरात	अहमदाबाद (यूए)	राजकोट (यूए), जामनगर (यूए), भावनगर (यूए), वडोदरा (यूए), सूरत (यूए)
13.	हरियाणा	....	फरीदाबाद* (एम कार्पोरेशन), गुड़गांव* (यूए)
14.	हिमाचल प्रदेश	.....	....
15.	जम्मू एवं काश्मीर	....	श्रीनगर (यूए), जम्मू (यूए).
16.	झारखण्ड	.....	जमशेदपुर (यूए), धनबाद (यूए), रांची (यूए), बोकारो स्टील सिटी (यूए)
17.	कर्नाटक	बैंगलोर/बेंगलुरू (यूए)	बेलगाम (यूए), हुबली-धारवाड़ (एम. कार्पोरेशन), मंगलोर (यूए), मैसूर (यूए), गुलबर्गा (यूए)
18.	केरल	....	कोझीकोड (यूए), कोची (यूए), तिरुवनंतपुरम (यूए), त्रिशूर (यूए), मालापुरम (यूए), कन्नूर (यूए), कोल्लम (यूए)
19.	लक्षद्वीप	....	.....
20.	मध्य प्रदेश	.....	ग्वालियर (यूए), इंदौर (यूए), भोपाल (यूए), जबलपुर (यूए), उज्जैन (एम. कार्पोरेशन)

5

21.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई(यूए), पुणे (यूए)	अमरावती (एम. कार्पोरेशन), नागपुर (यूए), औरंगाबाद (यूए), नासिक (यूए), भिवंडी (यूए), सोलापुर (एम. कार्पोरेशन), कोल्हापुर (यूए), वसई-विरार सिटी (एम. कार्पोरेशन), मालेगांव (यूए), नांदेड-वाघला (एम. कार्पोरेशन), सांगली (यूए)
22.	मणिपुर	.....	.....
23.	मेघालय	....	.....
24.	मिजोरम	.....	......
25.	नागालैंड	.....	.....
26.	ओडिसा	.....	कटक (यूए), भुवनेश्वर (यूए), राउरकेला (यूए)
27.	पुड्डुचेरी (पांडिचेरी)	.....	पुड्डुचेरी/पांडीचेरी (यूए)
28.	पंजाब	.....	अमृतसर (यूए), जालंधर (यूए), लुधियाना (एम. कार्पोरेशन)
29.	राजस्थान	.....	बीकानेर (एम. कार्पोरेशन), जयपुर (एम. कार्पोरेशन), जोधपुर (यूए), कोटा (एम. कार्पोरेशन), अजमेर (यूए).
30.	सिक्किम	.....	....
31.	तमिलनाडु	चेन्नै (यूए)	सेलम (यूए), तिरुपुर (यूए), कोयम्बटूर (यूए), तिरुचिरापल्ली (यूए), मदुरै (यूए), इरोड (यूए)
32.	त्रिपुरा	.....	.....
33.	उत्तर प्रदेश	.....	मुरादाबाद (एम. कार्पोरेशन), मेरठ (यूए), गाजियाबाद* (यूए), अलीगढ़ (यूए), आगरा (यूए), बरेली (यूए), लखनऊ (यूए), कानपुर (यूए), इलाहाबाद (यूए), गोरखपुर (यूए), वाराणसी (यूए), सहारनपुर (एम. कार्पोरेशन), नोएडा* (सी.टी), फिरोजाबाद (एनपीपी), झांसी (यूए)
34.	उत्तराखण्ड	.....	देहरादून (यूए)
35.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता (यूए)	आसनसोल (यूए), सिलीगुड़ी (यूए), दुर्गापुर (यूए)

*केवल आश्रितता के आधार पर आवास किराया भत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से।

नोट: विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेश के वे शेष नगर/शहर जिन्हें "X" या "Y" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें आवास किराया भत्ता प्रयोजन के लिए "Z" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

*****